



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(फोन: 0291-2544631; हेल्पलाइन: 8306002129; ई-मेल आईडी: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांक : जि0वि0से0प्रा0 / मशीन विद मैम / 2026-27 / 41

दिनांक : 30.04.2026

प्रेषित :- M/s Shree Swastik Infotech,
135/15, Shiv Shakti Nagar, Mahamandir,
Jodhpur (Raj.)

विषय :- मैम विद मशीन की सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु।

प्रसंग :- इस कार्यालय की बोली सूचना सं0 01/2026-27 दिनांक 21.04.2026 (UBN-LSA2627SSOB00011)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में आपकी उल्लेखित दरें उपापन समिति की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निविदा की शर्तों पर निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर 12.00 प्रतिशत (नियोक्ता अंशदान)	ESI दर 3.25 प्रतिशत (नियोक्ता अंशदान)	सामग्री राशि / उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रुपये)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रुपये)	कुल राशि रुपये (6+7+8+9+10)
		श्रमिक की श्रेणी	श्रमिक की संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिदिन प्रति ईकाई रुपये)	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रुपये)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	01 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक	उच्च कुशल	01	359/-	9334/-	12 % 1020.08/-	3.25 % 303.36/-	1/-	1/-	10759.44/- (GST Extra)

उपरोक्त दरों पर 01 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सेवाएँ वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक, अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए निविदा की शर्तों के तहत निम्नानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें:

- संवैदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 जमा कराना होगा तथा आगामी माह क बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा किए जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक का आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।
- सामान्य वित्तीय लेखा नियम, RTPP Act, 2012 एवं RTPP Rules 2013 एवं इस सम्बंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन, आदेश, निर्देश में वर्णित प्रावधानों की पालना अरिन्वार्य होगी तथा बिलों के भुगतान पर नियमानुसार कटौति भी की जाएगी।



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला
(फोन: 0291-2544631; हेल्पलाइन: 8306002129; ई-मेल आईडी: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

3. इस आदेश की तिथि से 10 दिवस के भीतर बोली की शर्त के अनुसार बोली लागत 1,50,000/- पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति @5%, राशि रुपये 7500/- में पूर्व प्रतिभूति जमा राशि रुपये 3000/- समायोजित करते हुए शेष राशि रुपये 4500/- "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला" के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक कार्यालय में जमा करवाना तथा राशि 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें तथा इसी अवधि में कार्य भी आरम्भ करावें।

(डॉ. मनीष हरजाई)

अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जोधपुर जिला।

क्रमांक : जि0वि0से0प्रा0/मशीन विद मैन/2026-27/42-47

दिनांक : 30.04.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर शहर।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला - उक्त कार्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. संबंधित लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला - उक्त कार्यादेश को State Public Procurement Portal पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. स्थापना शाखा, कार्यालय हाजा को निविदा की शर्तों एवं कार्यादेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तों तथा आदेश अनुसार फर्म से आगामी दस्तावेजों आदि की पूर्ति करावें, तत्पश्चात् रिकॉर्ड संधारण, विपत्र आदि पर की जाने कार्यवाही, आदि समस्त संबंधित कार्यवाही संपादित करावें।
6. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को निविदा की शर्तों एवं कार्यादेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तों तथा आदेश अनुसार विपत्र आदि पर भुगतान की कार्यवाही संपादित करावें।
7. कार्यालय प्रति।

(डॉ. मनीष हरजाई)

अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जोधपुर जिला।